न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2020-00176 RAAJodhpur2020-80RTA223 Naruram Vs Bhomaram etc

नरूराम पुत्र श्री बागाराम जाति जाट, निवासी- ग्राम लौड़ता रामसर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट

ब

न

म

1. भोमाराम पुत्र श्री हुकमाराम
2. आदूराम पुत्र श्री हुकमाराम
3. जेठाराम पुत्र श्री हुकमाराम
4. हीराराम पुत्र श्री हुकमाराम जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम लौड़ता हरिदासौता, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

प्रफोमा रेस्पोडेंट

6. राजूराम पुत्र श्री बागाराम
7. मगाराम पुत्र श्री बागाराम
8. टीकूराम पुत्र श्री बागाराम

सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम लौड़ता रामसर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

9. उत्तमसिंह पुत्र श्री आमसिंह
10. तखतसिंह पुत्र श्री आमसिंह जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम लौड़ता हरिदासौता, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
11. मोहनसिंह पुत्र श्री फगलूराम
12. राजूराम पुत्र श्री फगलूराम
13. किशनाराम पुत्र श्री फगलुराम जातियान् विश्नोई, निवासीगण- ग्राम लौड़ता हरिदासौता, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ड्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर बालेसर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 फरवरी 2020 राजस्व वाद संख्या 73/2009 भोमाराम व अन्य बनाम राजुराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -
श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
श्री ओमप्रकाश राठी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 से 04
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 05

नि र्ण य

दिनांक : 11 अक्टूबर, 2021

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 फरवरी 2020 राजस्व वाद संख्या 73/2009 भोमाराम अन्य बनाम राजूराम इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 13 जुलाई 2020 को पेश की गयी है।

अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम अपील प्रस्तुति में हुई देरी का माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. संख्या एक से चार ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से चार की सामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नं. 281/1 रकबा 128.18 बीघा, खसरा नं. 532 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं. 533 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं. 534/1 रकबा 61 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं. 536 रकबा 96 बीघा 19 बिस्वा कुल खसरा 5 कुल रकबा 288 बीघा सरहद मौजा रामसर, पटवार क्षेत्र लौड़ता अचलावता,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तहसील शेरगढ वर्तमान तहसील देचू तथा खसरा न. 630 रकबा 37 बीघा ग्राम लौड़ता में स्थित है। उक्त विवादग्रस्त आराजी में वादी संख्या एक का 1/4, वादी संख्या दो व तीन का संयुक्त रुप से 1/4 हिस्सा, वादी संख्या चार का 1/4 हिस्सा निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से छः की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम लौड़ता हरिदासोत तहसील शेरगढ वर्तमान तहसील देचू के खेत खसरा नं. 403 रकबा 138 बीघा 12 बिस्वा आई हुई है। उपरोक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक से चार का संयुक्त रुप से 2/3 हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादी संख्या 05 व 06 का 1/3 हिस्सा बनता है। उपरोक्त खातेदारी की भूमि पर पक्षकारान् अपने-अपने कब्जें व काश्त अनुसार काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है। उक्त खसरान् की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जा काश्त की अविभाजित भूमि है, जिसका पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउंड्स के बंटवाड़ा नहीं हुआ है, यानि उपरोक्त खसरान् की भूमि पक्षकारान् की अविभाजित संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या एक से छः को समझाईश की कि वे अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने का प्रयास नहीं करे व इस अविभाजित भूमि का बाई मिट्स एंड बाउडट्स बंटवाड़ा करवा ले, लेकिन प्रतिवादी संख्या एक से छः इस हेतु तैयार नहीं हुए, ऐसी स्थिति में वादीगण को वाद प्रस्तुत करना पड़ा। मौके पर मौखिक बंटवाड़े अनुसार वादीगण की ढाणियां एवं टांके बने हुए है तथा वादीगण वक्त सेटलमेंट से अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है तथा वादीगण ने स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध जारी करने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या एक से चार की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर दिनांक 17.06.2011 को उनका जवाब बंद कर दिया गया। वादीगण की ओर से दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये तथा गवाह पेश किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 31 अक्टूबर 2014 को अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पारित किया गया। तहसीलदार बालेसर को 500/- रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया गया कि खेत खसरा नं. खसरा नं. 281/1 रकबा 128.18 बीघा, खसरा नं. 532 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं. 533 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं. 534/1 रकबा 61 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं. 536 रकबा 96 बीघा 19 बिस्वा ग्राम रामसर तहसील बालेसर एवं खसरा नं. 630 रकबा 37.12 बीघा ग्राम लौड़ता हरिदासौत तहसील बालेसर जिला जोधपुर में वादी संख्या 1 के 1/4 हिस्से अनुसार, वादी संख्या दो व तीन के संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से अनुसार तथा वादी संख्या 4 के 1/4 हिस्से अनुसार प्रतिवादी संख्या एक से चार के संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार बालेसर को निर्देशित किया गया। खसरा नं. 403 रकबा 138.12 बीघा ग्राम लौड़ता हरिदासौत तहसील बालेसर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से चार के संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या पांच व छः के संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सं अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार किये जाने के आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित किये गये। तहसीलदार बालेसर से बटवाड़ा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2020 को आलोच्य अंतिम डिक्री एवं निर्णय पारित कर दिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया के आलौच्य निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.10.2014 प्रवृत विधि, विधिक प्रक्रिया के प्रावधानों तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के विपरीत पारित की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री अपीलार्थी की अनुपस्थिति में पारित की गई है। न्याय का सुस्थापित सिद्धांत यह कहता है कि यदि प्राथमिक डिक्री यदि किसी पक्षकार की अनुपस्थिति में जारी की गई है तो कमिश्नर द्वारा मौका निरीक्षण से पूर्व तथा अंतिम डिक्री पर आपत्तियां आंमत्रित करने से पूर्व अनुपस्थित पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु न्यायालय पुनः नोटिस जारी करे, किंतु उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी होने के पश्चात एवं कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलार्थी व रेस्पोडेंट संख्या छः से आठ को सुनवाई का विधिवत्त अवसर प्रदान किया ही नही किया। मौका रिपोर्ट काश्तकारों के कब्जे अनुरुप तैयार ही नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जारी करने से पूर्व रेकर्ड पर आये साक्ष्यों का विधिपूर्ण ढंग से विवेचन नहीं किया गया। विवादग्रस्त आराजी का आज से 40 वर्ष पूर्व ही अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट्स के मध्य आपसी सहमति से मौके पर अपने-अपने हिस्से अनुसार बंटवाड़ा हो चुका है जो नायब

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तहसीलदार बालेसर द्वारा वर्ष 2010 में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। खसरा नं. 281/1 में रकबा 08 बीघा भूमि पर अपीलार्थी का निर्माण कार्य किया हुआ है। अपीलार्थी के उक्त हिस्से को अपीलांट के बंट में ही नहीं रखा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन अंतिम डिक्री एवं निर्णय पारित किया गया है। जब पटवारी हल्का के समक्ष इस आशय की सूचना पहुंची कि अंतिम डिक्री के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल-दरामदगी की जावे, तब पटवारी हल्का के द्वारा अपीलार्थी को न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रदान की गई तथा कहा कि खसरा नं. 281/1 में से रकबा 08 बीघा भूमि पर से आपका कब्जा हटा लेवे क्योंकि उक्त भूमि आपके बंट व हिस्से में नहीं है। अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई तब अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरण की नकले दिनांक 06.07.2020 को प्राप्त होने पर वास्तविक जानकारी हुई, इससे पूर्व अपीलार्थी को उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नही थी। जानकारी की तारीख से निर्धारित म्याद अवधि में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। अंत मे अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जावे तथा अपील अपीलांट गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 अक्टूबर 2014 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सभी पक्षकारों को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा उनकी ओर से अधिवक्ता श्री पारसमल सोनी को भी नियुक्त किया गया। अपीलांट बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो स्वयं उपस्थित हुआ तथा न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार बालेसर द्वारा उभय पक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार बालेसर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत जमाबंदी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के निहित हिस्सों अनुसार ही प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का कोई समुचित एवं विधिसम्मत कारण नहीं बताया है। अतः अपीलांट्स के द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2014 को प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार बालेसर को विवादग्रस्त भूमि पर उभय पक्ष के कब्जे काश्त अनुसार मय नजरी नक्शा के तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.01.2019 के बंटवाड़ा प्रस्ताव उभय पक्ष की उपस्थिति में पक्षकारान् के मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार तैयार किया जाना पाया जाता है। अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील के बावजूद न तो स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा न ही उसके अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तति में हुई देरी का कोई विधिसंगत एवं संतोषजन कारण नहीं बतलाया गया। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन किये जाने योग्य पायी जाती है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 फरवरी 2020 राजस्व वाद संख्या 73/2009 भोमाराम अन्य बनाम राजूराम इत्यादि को यथावत रखा जाता। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/X/2021

नखतदान बारहठ
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

नरूराम पुत्र श्री बागाराम जाति जाट, निवासी- ग्राम लौड़ता रामसर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेण्ट

1. भोमाराम पुत्र श्री हुकमाराम
2. आदूराम पुत्र श्री हुकमाराम
3. जेठाराम पुत्र श्री हुकमाराम
4. हीराराम पुत्र श्री हुकमाराम जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम लौड़ता हरिदासौता, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

प्रफोमा रेस्पोडेंट

6. राजूराम पुत्र श्री बागाराम
7. मगाराम पुत्र श्री बागाराम
8. टीकूराम पुत्र श्री बागाराम

सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम लौड़ता रामसर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

9. उत्तमसिंह पुत्र श्री आमसिंह
10. तखतसिंह पुत्र श्री आमसिंह जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम लौड़ता हरिदासौता, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
11. मोहनसिंह पुत्र श्री फगलूराम
12. राजूराम पुत्र श्री फगलूराम किशनाराम पुत्र श्री फगलुराम जातियान् विश्नोई, निवासीगण- ग्राम लौड़ता हरिदासौता, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर बालेसर निर्णय एवं डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 27 फरवरी 2020 राजस्व वाद संख्या 73/2009
भोमाराम व अन्य बनाम राजुराम इत्यादि

--- 0 ---

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 11 अक्टूबर 2021 बहाजरी अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी मिनजानिब अपीलाण्ट अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश राठी एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 फरवरी 2020 राजस्व वाद संख्या 73/2009 भोमाराम अन्य बनाम राजूराम इत्यादि को यथावत रखा जाता। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहने करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग -----/---) रूपये ------/------- अदा करें।
खर्चा मुकदमा मातहत का -----/---- अदा करें।

बसत्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 11 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया।

11/X/2021

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बावत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

11/X/2021

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर